

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, श्रीम. ....  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... मन्जीतगाह .....

83/25

## -आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटयारी ..... मन्जीतगाह ..... व भू.अ.नि. कालाहि ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम. / नायब तहसीलदार श्रीम. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम ..... मन्जीतगाह ..... तहसील ..... श्रीम. व जिला ..... राजस्व की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 263, 264, 269 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मन्जीतगाह	263, 264, 269	डीरेंद्रसिंह पिता मासुसिंह	नितेंद्रसिंह पिता मासुसिंह

(Signature)  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूमि  
पदेन सहायक कलेक्टर  
जिला-राजसमन्ध

कमांक :- 83/2025

दिनांक :- 30/6/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्रीम. को भेजकर लेख है-कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। ..... को सूचनाार्थ।

(Signature)  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूमि  
पदेन सहायक कलेक्टर  
जिला-राजसमन्ध